



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/E/21/00278, 00281

दिनांक: 19 July, 2021

Shri Siddharth bapna,
98 SHRINATH MARG KAWAKHERA BHILWARA,
BHILWARA-311001, Rajasthan

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 8 July, 2021 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र में बांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी. अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (सी. एम. जी.) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,

(जसबीर सिंह)

मुख्य महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.तो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

अनुलग्नक-1

Sub.: Reply to RTI Query by Shri Siddharth bapna, Rajasthan.

Query 1.	Is there any recruitment of AET Civil through GATE 2020?
Query 2.	If yes then when will be the advertisement published of AET Civil recruitment through GATE 2020?
Query 3.	Seat distribution of AET civil recruitment through GATE 2020?
Query 4.	Is there any recruitment of AET Civil through GATE 2021?
Query 5.	If yes then when will be the advertisement published of AET Civil recruitment through GATE 2021?
Query 6.	Seat distribution of AET civil recruitment through GATE 2021?
Reply 1-6.	The query pertains to a future event and accordingly answer to this query does not qualify as "information" as per clause 2(f) of the RTI Act 2005.

---x---

RP Singh